न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 326/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/603**
दायर दिनांक :– 15.10.2025 **निर्णय दिनांक :– 28.01.2026**

1. मनोहरराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. हीराराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बक्साराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सोहनलाल पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अ.सं. 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 263/1 रकबा 20.8817 हैक्टेयर भूमि सरहद मोजा मेहरामनगर पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश क्रमांक राजस्व/प्र.गा.अ. –2021/2021/157 दिनांक 07.10.2021 को जारी किया गया था। उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा मेहरामनगर भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष बअनवान मनोहरराम बनाम राजस्थान सरकार पेश की जिसके मुकदमा नम्बर 202/2024 है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.07.2024 को कर खसरा नम्बर 263/1 की हद तक उक्त आदेश दिनांक 07.10.2021 को अपास्त कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय द्वारा दिनांक 07.10.2021 को उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा किये गये आदेश को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन आज दिन तक पूर्व आदेश अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व आदेश के अपास्त हो जाने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानूनन कोई महत्व नहीं रहा है लेकिन फिर भी पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

इसलिये उक्त पूर्व निर्णय के नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा श्रीसुरपुरा से पूर्व की खसरा नम्बर 263/1 की हद तक स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जवाब पेश नहीं कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी बाप का आदेश दिनांक 07.10.2021 की पालना में मौजा मेहरामनगर नामान्तरकरण संख्या 199 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.10.2021 के द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा मेहरामनगर जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा मेहरामनगर के पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी बाप के आदेश दिनांक 07.10.2021 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा मेहरामनगर के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 07.10.2021 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 199 मौजा मेहरामनगर को खसरा नम्बर 263/1 की हद तक निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

Satya..

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)